

08 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>

वादी अनुपस्थित, अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रतिवादी कं.-2 द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधि.उप.।

प्रतिवादी कं.-3 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिवादी कं.-1 अनिर्वाहित।

प्रकरण प्रतिवादी कं.-1 की उपस्थिति हेतु नियत है।

वादी को न्यायालय द्वारा बार-बार पुकार लगाई गई,  
किन्तु पुकारोपरांत अनुपस्थित।

प्रकरण वादी की उपस्थिति/अग्रिम कार्यवाही हेतु  
मध्यान्तर पश्चात् पेश हो।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

True

8/11/12



## Order Sheet [Contd]

Case No. 18/14 A.S. 10 of 20

Date of Order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पुनश्च :-</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत।</p> <p>प्रकरण मध्यान्तर पश्चात् पेश हुआ।</p> <p>वादी को न्यायालय द्वारा पुनः बार-बार पुकार लगाई गई, किन्तु पुकारोपरांत वादी व अधिवक्ता अनुपस्थित है। न्यायालयीन समय समाप्त होने को आवेदक व उसके अधिवक्ता का और इंतजार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तथा वादी द्वारा पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया। अतः वादी की अनुपस्थिति तथा आदेश के अपालन में <b>आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी.</b> के तहत इसी स्तर पर प्रकरण की कार्यवाही अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(पी.सी. आर्य)</p> <p style="text-align: right;">द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	